न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

(56)

समक्ष : मनोज गोयल
अध्यक्ष

प्रकरण क्रमांक निगरानी 7064–पीबीआर/15 विरूद्ध आदेश दिनांक 29–9–2015 पारित द्वारा कलेक्टर आफ स्टाम्प, होशंगाबाद प्रकरण क्रमांक 41/बी–103/14–15.

एम.एल. रघुवंशी आ. गेंदालाल रघुवंशी
निवासी मीनाक्षी चौक
एल.आई.सी. कार्यालय के पास, होशंगाबाद
तहसील व जिला होशंगाबाद ....आवेदक

विरूद्ध

1– म0प्र0 शासन द्वारा उप पंजीयक, होशंगाबाद
2– सचिव कृषि उपज मंडी, होशंगाबाद ....अनावेदकगण

श्री दिवाकर दीक्षित, अभिभाषक, आवेदक
श्रीमती सुनीता राजपूत, अभिभाषक, अनावेदक क. 2

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 8/1/16 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी भारतीय मुद्रांक अधिनियम 1899 (जिसे संक्षेप में अधिनियम कहा जायेगा) की धारा 56 के अंतर्गत कलेक्टर ऑफ स्टाम्प होशंगाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 29–9–2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदक कमांक 2 द्वारा वरिष्ठ जिला पंजीयक, होशंगाबाद को पत्र प्रस्तुत कर उल्लेख किया गया कि उसके द्वारा रूपये 100/– के अनुबंध पत्र पर नीलामी द्वारा दुकानों का विकय किया गया है, अतः उक्त अनुबंध पत्र की जांच कर मूल अनुबंध पत्र शर्तों सहित वापिस किया जाये । उक्त पत्र के आधार पर कलेक्टर ऑफ स्टाम्प द्वारा प्रकरण कमांक 41/बी–103/14–15 दर्ज कर दिनांक 29–9–2015 को आदेश पारित किया जाकर प्रश्नाधीन दुकानों के आवंटन को

विलेख पट्टा अनुबंध की श्रेणी में मानकर रूपये 46,575/— मुद्रांक शुल्क देय होना निर्धारित करते हुए कमी मुद्रांक शुल्क रूपये 46,475/— एवं अधिनियम की धारा 40—ख के अंतर्गत शास्ति रूपये 7,000/— अधिरोपित करते हुए कुल रूपये 53,475/— जमा करने के आदेश दिये गये । कलेक्टर ऑफ स्टाम्प के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा मौखिक एवं लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :—

(1) आवेदक को प्रश्नाधीन दुकान रूपये 480/— प्रतिवर्ष के मान से रूपये 2400/— मूल्यांकन किया जाकर इसी राशि के आधार पर मुद्रांक शुल्क निर्धारित करना चाहिए था, परन्तु ऐसा नहीं करने में कलेक्टर आफ स्टाम्प द्वारा अवैधानिक कार्यवाही की गई है ।

(2) कलेक्टर आफ स्टाम्प द्वारा अधिनियम की धारा 33 के अंतर्गत विधि विरूद्ध आदेश पारित किया गया है, क्योंकि किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, मंत्रालय के द्वारा राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना दिनांक 30—7—2007 जिसके तहत दुकान अपीलार्थी को प्रदान की गई है, उसकी कंडिका 3 की उप कंडिका 3 के अनुसार भूमि या संरचना का आवंटन सामान्यतः 5 वर्ष के लिए किया जायेगा, और पट्टे पर नहीं किया जायेगा ।

(3) कलेक्टर आफ स्टाम्प द्वारा दिनांक 30—9—2009 के अनुबंध पत्र को वर्ष 2005 में संज्ञान में लिया गया है, और अधिनियम की धारा 48—ख के अंतर्गत कमी की दशा में कलेक्टर आफ स्टाम्प के समक्ष मूल लिखत प्रस्तुत की जानी चाहिए, परन्तु कलेक्टर आफ स्टाम्प द्वारा निर्धारित 5 वर्ष की अवधि के पश्चात अनुबंध पत्र को संज्ञान में लिया गया है एवं मूल दस्तावेज भी प्रस्तुत नहीं हुआ है । ऐसी स्थिति में कलेक्टर आफ स्टाम्प द्वारा पारित आदेश अधिनियम के प्रावधारों के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है ।

तर्कों के समर्थन में 2003 (1)(1) एम.पी.एल.जे. 314 का न्याय दृष्टांत प्रस्तुत किया गया ।

4/ अनावेदक कमांक 1 की ओर से केवल यही तर्क प्रस्तुत किया गया कि कलेक्टर आफ स्टाम्प द्वारा पारित आदेश वैधानिक एवं उचित होने से उसमें हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं है ।

5/ अनावेदक कमांक 2 के विद्वान अभिभाषक द्वारा मौखिक एवं लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :—

(1) अनावेदक क्रमांक 2 द्वारा आवेदक को प्रश्नाधीन दुकान उच्चतम बोली रूपये 6,19,000 / — पर 5 वर्ष के लिए सेंड्रीशॉप दुकानें आवंटित की गई हैं ।

(2) आवंटन की अवधि समाप्त हो चुकी है, और दुकान पट्टे पर आवंटित नहीं की गई है ।

(3) कलेक्टर आफ स्टाम्प द्वारा विधिवत कार्यवाही की जाकर संहिता की धारा 33 एवं 40—ख के प्रावधानों के अंतर्गत एवं शासन द्वारा समय—समय पर जारी परिपत्रों के परिप्रेक्ष्य में आदेश पारित किया गया है, जो कि हस्तक्षेप योग्य नहीं है ।

6/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्कों के सदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । कलेक्टर ऑफ स्टाम्प के अभिलेख से स्पष्ट है कि आवेदक एवं अनावेदक कमांक 2 के मध्य अनुबंध निष्पादित हुआ है, जिसके अंतर्गत कृषि उपज मण्डी की दुकान रूपये 6,21,000/— में नीलाम की जाकर रूपये 480/— मासिक किराये पर आवेदक को 5 वर्ष के लिए दी गई है । अतः स्पष्ट है कि प्रश्नाधीन विलेख अनुबंध पत्र पट्टा की श्रेणी आता है, Licance की नहीं, और कलेक्टर ऑफ स्टाम्प द्वारा प्रश्नाधीन विलेख पट्टा अनुबंध पत्र मानकर मुद्रांक शुल्क अधिरोपित करने में किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता नहीं की गई है । चूंकि आवेदक द्वारा मुद्रांक शुल्क का अपवंचन किया गया है, अतः अर्थदण्ड रूपये 7,000/— अधिरोपित करने में भी कलेक्टर ऑफ स्टाम्प किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता नहीं की गई है, इसलिए कलेक्टर ऑफ स्टाम्प द्वारा पारित आदेश विधिसंगत होने से हस्तक्षेप योग्य नहीं है ।

7/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर कलेक्टर ऑफ स्टाम्प होशंगाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 29—9—2015 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

यह आदेश प्रकरण कमांक निगरानी 7063—पीबीआर/15 पर भी लागू होगा, अतः आदेश की एक प्रति उक्त प्रकरण में संलग्न की जाये ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर